संख्या-25/2022/1479/77-6-2022-6099/315/2021

प्रेषक,

अरविन्द कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
पिकप,
पिकप भवन, गोमतीनगर, लखनऊ।

औद्योगिक विकास अनुभाग-6 **लखनऊ : दिनांक 17 जून, 2022**

विषय: उत्तर प्रदेश अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 के अन्तर्गत प्रदेश में मेगा परियोजनाओं की स्थापना को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से विभिन्न मेगा परियोजनाओ को दिए जाने वाली विशेष सुविधाओं एवं रियायतों के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 के अन्तर्गत गठित इम्पावर्ड कमेटी की दिनांक 28.04.2022 को सम्पन्न बैठक में की गई संस्तुति के अनुसार निम्नांकित इकाईयों को मेगा परियोजनान्तर्गत अनुमन्य विशेष सुविधाएं वितरित करने का लिया गया है। तदनुसार निम्नानुसार सुविधाएं/ रियायतें अनुमन्य कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हुए है:-

(1) <u>मेसर्स पसवारा पेपर्स लि., मेरठ</u>

<u>अनुमन्य सुविधाएं -</u>

(राशि रू0 में)

क्र0सं0	सुविधाओं के प्रस्तावित वितरण का विवरण		2020-21 (1.4.2020 से 30.9.2020)
1.	जमा की गई नेट एस0जी0एस0टी0 की प्रतिपूर्ति		1,79,26,741.00
2.	पूँजी ब्याज उपादान प्रतिपूर्ति		-
3.	इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में छूट		-
4.	कुल (1+2+3)		1,79,26,741.00
5.	उत्पादित माल पर जमा की गयी कुल नेट एस.जी.एस.टी.की राशि@		2,24,08,427.00
6.	वितरण योग्य अर्ह राशि		1,79,26,741.00
7.	**घटाया-वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु इकाई को वितरित सुविधा की राशि**		26,97,678.00
	नेट एस0जी0एस0टी0 की प्रतिपूर्ति- 1.4.2020 से 30.6.2020	26,97,678.00	
8.	**वितरण हेतु शुद्ध राशि (6-7)**		1,52,29,063.00*

@सभी सुविधाओं का योग सम्बन्धित वर्ष/अवधि में जमा की गयी कुल नेट एस.जी.एस.टी. की राशि से अधिक नही होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

*एस.ओ.पी. शासनादेश सं01281/77-6-2021-5(एम)/2013 टी.सी. (मेगा)-1 दिनांक 26.03.2021 के अनुपालन में कुल देय राशि में से 10 प्रतिशत धनराशि होल्ड की जायेगी। तत्पश्चात कुल देय वितरण योग्य राशि में से नोडल संस्था को देय प्रशासनिक खर्चों के रूप में 1 प्रतिशत घटा कर शेष राशि कम्पनी को वितरित की जायेगी।

उपरोक्तानुसार मेसर्स पसवारा पेपर्स लिमिटेड को सुविधाएं वितरित किए जाने का निर्णय लिया गया।

(2) <u>मेसर्स श्री सीमेंट लि0, बुलन्दशहर(पश्चिमांचल)</u>

<u>अनुमन्य सुविधाएं-</u>

(राशि रू0 में)

क्र0सं0	सुविधाओं के प्रस्तावित वितरण का विवरण		2020-21	2021-22 (1.4.2021 से 30.6.2021)
1.	जमा की गयी नेट एस.जी.एस.टी. की प्रतिपूर्ति		64,10,88,395.00	13,69,55,346.00
2.	पूँजी ब्याज उपादान प्रतिपूर्ति		11,27,44,144.00	-
3.	इलेक्ट्रीसिटी ड्यूटी में छूट		43,15,956.00	-
4.	**कुल (1+2+3)**		**75,81,48,495.00**	**13,69,55,346.00**
5.	उत्पादित माल पर जमा की गयी सत्यापित कुल नेट एस.जी.एस.टी. की राशि@		80,13,60,493.00	17,11,94,183.00
6.	**वितरण योग्य अर्ह राशि**		**75,81,48,495.00**	**13,69,55,346.00**
7.	**घटाया-इकाई को वितरित/इकाई द्वारा छूट के रूप में प्राप्त सुविधा की राशि**		49,95,67,568.00	-
	नेट एस0जी0एस0टी0 की प्रतिपूर्ति- 1.4.2020 से 31.12.2020	49,52,51,612		
	इलेक्ट्रीसिटी ड्यूटी में छूट	43,15,956		
8.	**वितरण हेतु शुद्ध राशि**			
	नेट एस0जी0एस0टी0 की प्रतिपूर्ति- 1.1.2021 से 31.03.2021		14,58,36,783.00	13,69,55,346.00
	पूँजी ब्याज उपादान की प्रतिपूर्ति- 1.4.2020 से 31.03.2021		11,27,44,144.00	-
	कुल प्रतिपूर्ति (6-7)		**25,85,80,927.00**	**13,69,55,346.00**
9.	**वितरण हेतु कुल राशि**			**39,55,36,273.00***

@सभी सुविधाओं का योग सम्बन्धित वर्ष/अवधि में जमा की गयी कुल नेट एस.जी.एस.टी. की राशि से अधिक नही होगा।

*एस.ओ.पी. शासनादेश सं0 1281/77-6-2021-5(एम)/2013 टी.सी. (मेगा)-1 दिनांक 26.03.2021 के अनुपालन में कुल देय राशि में से 10 प्रतिशत धनराशि होल्ड की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

तत्पश्चात कुल देय वितरण योग्य राशि में से नोडल संस्था को देय प्रशासनिक खर्चों के रूप में 1 प्रतिशत घटा कर शेष राशि कम्पनी को वितरित की जायेगी।

उपरोक्तानुसार मेसर्स श्री सीमेन्ट लि0 को अनुमन्य सुविधाएं वितरित किये जाने का निर्णय लिया गया।

(3) मेसर्स वरूण बेवरेजेस लिमिटेड, सण्डीला, हरदोई

अनुमन्य सुविधाएं-

(राशि रू0 में)

क्र0सं0	**सुविधाओं के प्रस्तावित वितरण का विवरण**	**2021-22 (1.04.2021 से 30.06.2021)**
1.	जमा की गयी नेट एस.जी0एस0टी0 की प्रतिपूर्ति	11,37,86,139.00
2.	पूँजी ब्याज उपादान प्रतिपूर्ति	-
3.	इलेक्ट्रीसिटी ड्यूटी में छूट	-
4.	कुल (1+2+3)	**11,37,86,139.00**
5.	उत्पादित माल पर जमा की गयी सत्यापित कुल नेट एस.जी.एस.टी.की राशि@	14,22,32,674.00
6.	वितरण योग्य अर्ह राशि	11,37,86,139.00
7.	**घटाया-**वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु इकाई को वितरित/ इकाई द्वारा छूट के रूप में प्राप्त सुविधा की राशि	-
8.	**वितरण हेतु शुद्ध राशि (6-7)**	**11,37,86,139.00***

@सभी सुविधाओं का योग सम्बन्धित वर्ष/अवधि में जमा की गयी कुल नेट एस.जी.एस.टी. की राशि से अधिक नही होगा।

*एस.ओ.पी. शासनादेश सं0 1281/77-6-2021-5(एम)/2013टी.सी.(मेगा)-1 दिनांक 26.03.2021 के अनुपालन में कुल देय राशि में से 10 प्रतिशत धनराशि होल्ड की जायेगी। तत्पश्चात कुल देय वितरण योग्य राशि में से नोडल संस्था को देय प्रशासनिक खर्चों के रूप में 1 प्रतिशत घटा कर शेष राशि कम्पनी को वितरित की जायेगी।

उपरोक्तानुसार मेसर्स वरूण बेवरेजस लिमिटेड को सुविधाएं वितरित किए जाने का निर्णय लिया गया।

2. उत्तर प्रदेश अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 के अन्तर्गत मेगा परियोजनाओं की स्थापना हेतु इम्पावर्ड कमेटी द्वारा की गयी संस्तुतियों के अनुसार इकाईयों को सुविधाएं एवं रियायतें दी जाएगी।

3. इकाईयों को देय धनराशि उत्तर प्रदेश अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 के प्राविधानों एवं संगत शासनादेशों की शर्तो के अनुसार अनुमन्य की जाएगी।

4. शासनादेश संख्या-21/2020/1395/77-6-2020-5(एम)/2017टी.सी.2 दिनांक 12.06.2022 (यथासंशोधित) द्वारा निर्धारित मानक परिचालन प्रक्रिया (एस.ओ.पी.) की सभी

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

शर्तों एवं सुरक्षा उपायों 'सेफगार्ड्स' का अनुपालन करते हुए इकाईयों को नेट एस.जी.एस.टी. प्रतिपूर्ति की जाएगी।

5. अतः कृपया उपर्युक्तानुसार अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए इस संबंध में आवश्यक वित्तीय स्वीकृति का प्रस्ताव प्रमाणित विवरण सहित शासन को अविलम्ब उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
अरविन्द कुमार
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-25/2022/1479(1)/77-6-2022-6099/315/2021तद्दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
3. अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
रजनी कान्त पाण्डेय
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।